ISSN 2319-9407
www.yuvasamvad.org
www.yuvasamvad.com

नव निर्माण के लिए

युवा संवाद

फरवरी 2022 अंक-228 मूल्य - 30 रुपये

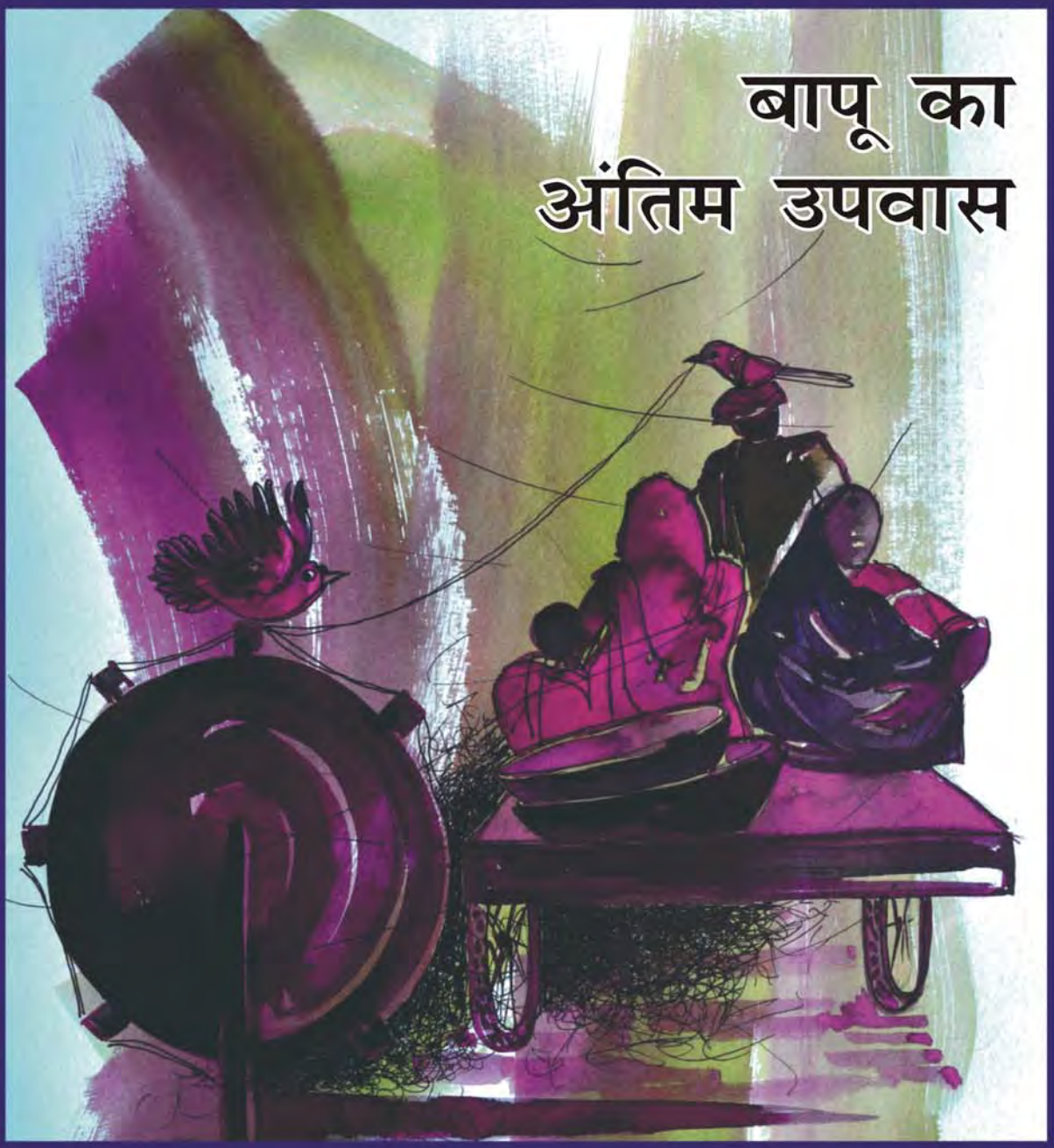

कैद में औरत और उत्पीड़न की मर्दानगी

युवा संवाद

वर्ष: 18 ■ अंक: 11 ■ फरवरी, 2022

प्रकाशन एवं संपादन पूर्णतया अवैतनिक

संपादक मंडल

प्रो. कमल नयन काबरा
अरुण कुमार त्रिपाठी
अनिल चमड़िया
योगेन्द्र
अशोक भारत

संपादक

ए. के. अरुण

कला संपादक

संजीव शाश्वती

संपादकीय एवं प्रबंध कार्यालय

167ए / जी.एच.2

पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

फोन – 7303608800

ईमेल : ysamvad@gmail.com

यह प्रति : 30 रु.

सदस्यता की दरें

वार्षिक : **300** रु. (व्यक्तिगत)
: **360** रु. (संस्थागत)
पांच वर्ष : **1200** रु.
दस वर्ष : **2000** रु.
आजीवन : **3000** रु.
विदेशों में : **200** यूएस डॉलर (पांच साल के लिए)

पत्रिका के लिये सहयोग राशि 'युवा संवाद' के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक से युवा संवाद 167ए/जी.एच.–2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 को भेजें। दिल्ली से बाहर के चैक के साथ 50 रु. और जोड़ें। सदस्यता राशि सीधे युवा संवाद के अकाउंट संख्या **028805003109** आई.सी.आई.सी.आई., नई दिल्ली के खाते में भी सीधे जमा कराई जा सकती है। बैंक का **IFSC CODE ICIC0000288** है। राशि जमा कराने के बाद अपना नाम व पूरा पता डाक पिनकोड सहित मोबाइल नं. **09868809602** पर अवश्य एस.एम.एस. करें।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डॉ. ए. के. अरुण, द्वारा मर्करी प्रिंटर्स, 602, गली जूते वाली, चूड़ीवालान, दिल्ली–06 से मुद्रित एवं उन्हीं के द्वारा 167ए/जी.एच. 2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 से प्रकाशित।

संपादक – ए. के. अरुण

RNI NO. : DELHIN/2003 / 9929

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

युवा संवाद से सम्बन्धित किसी भी विवाद का निपटारा दिल्ली की सक्षम अदालत में ही सम्भव होगा।

इस अंक में

बिहार	: बड़े मगरमच्छों को कौन पकड़ेगा?	डॉ. योगेन्द्र	7
विरासत	: बापू का अंतिम उपवास	चिन्मय मिश्र	8
सांप्रदायिकता	: सांप्रदायिकता और धार्मिक तत्ववाद	विजय विशाल	11
स्कूली शिक्षा	: मातृभाषा बनाम अंग्रेजी भाषा का...	कनक लता	14
शिक्षा	: समान स्कूली व्यवस्था जरूरी	युवा संवाद ब्यूरो	19
फिटनेस	: बाजार में व्यायाम	प्रसाद वी	23
हवाई यात्रा	: हवाई चप्पल को तरसते प्रदेश...	यूसुफ किरमानी	26
जलवायु	: पृथ्वी के भविष्य का संकट	गोपालकृष्ण	30
पर्यावरण	: तीसरी दुनिया का भविष्य और...	गगनदीप सिंह	34
जेल	: कैद में औरत और उत्पीड़न की...	चंद्रकला	36
कृषि–कानून	: कृषि–कानून का पोस्टमार्टम	कमल नयन काबरा	42
सभ्यता विमर्श	: महाजनी सभ्यता	प्रेमचन्द	45
बेबाक	: अपने–अपने सपने	सहीराम	49

स्थाई स्तंभ

पाठक संवाद:		4–5
संपादकीय	:	6

वेब : www.yuvasamvad.org www.yuvasamvad.com

महज़ मतदाता रह गए हैं हम भारत के लोग

आजादी के अमृत महोत्सव और 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नजर दौड़ा कर देखें तो पाएंगे कि हम भारत के लोग या तो मतदाता बन कर रह गए हैं या उपभोक्ता। हम नागरिक नहीं बन पाए हैं। वे भारतीयता का अर्थ भूल गए हैं। लोगों के दिमाग में लोकतंत्र और गणतंत्र का यही अर्थ समा पाया है कि एक समय के अंतराल पर राजा का चयन वोटों से होना चाहिए और उन्हें अपना वोट देने की कुछ कीमत मिलनी चाहिए। इस तरह से हमने अधिकारों और दायित्वों पर नहीं लेन देन और रिश्वत पर आधारित एक लोकतांत्रिक गणतंत्र का विकास किया है। जहां लोग मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को नहीं राज्य की कृपा को समझते हैं और उसके अहसान तले दबे रहना चाहते हैं। राष्ट्र और उसकी नागरिकता की जो महान अवधारणा हमारे संविधान ने दुनिया के अन्य महान देशों की तरह से निर्मित करने की कोशिश की थी वह लोग समझ नहीं पाए। राष्ट्र बहुसंख्यवाद के धर्म और भावनाओं के आधार पर गढ़ी जाने वाली एक इमारत का रूप लेता जा रहा है। ऐसी इमारत जहां अल्पसंख्यकों के लिए स्थान नहीं होगा।

पांच राज्यों के चुनाव के बीच मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान और उसकी उद्देशिका का स्मरण मौजूं हो जाता है। आखिर कौन हैं वह भारत के लोग जिन्होंने आजादी की लंबी लड़ाई के बाद अपने को आजाद घोषित किया और फिर अपने लिए एक संविधान बनाकर स्वयं अंगीकार किया? आजादी की लड़ाई और उससे जुड़े मूल्यों का रास्ता यही कहता था कि हमें धार्मिक जकड़बंदियों से मुक्त होना है और असली देवता उन्हें ही मानना है जो खेतों और खलिहानों में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि उन्हें जब आजादी मिल रही है और उसकी सतत यात्रा के लिए वे एक संविधान दे रहे हैं तो बाहर कितना घनघोर सांप्रदायिक विभाजन है। वह समय था जब ट्रेनों में लोगों का धर्म पूछा जाता था और तब उन्हें सुरक्षा दी जाती थी या उनका कत्ल किया जाता था। अगर हमलावरों को यकीन नहीं होता था तो वे लोगों के कपड़े उतरवाते थे और उनके धर्म का परीक्षण करते थे। उस परिवेश से निकलकर भारत ने ऐसा वातावरण निर्मित करने का संकल्प लिया था कि अब वैसा न हो और अगर संभव हो तो विभाजन की इस दीवार को ही तोड़ दिया जाए।

1948 में इसी महीने की 13 से 18 जनवरी के बीच महात्मा गांधी ने दिल्ली के बिड़ला भवन में अपना आखिरी आमरण अनशन करके जलती हुई दिल्ली को शांत किया था। उन्होंने अपने साथियों को पाकिस्तान भेज कर वहां भी जाने की इजाजत मांगी थी ताकि धरती पर पड़ी विभाजन रेखा भले बनी रहे लेकिन दिलों के विभाजन को मिटाया जा सके। लेकिन इजाजत मिले इससे पहले 30 जनवरी 1948 को सांप्रदायिकता का जहर उन्हें निगल गया।

इसीलिए भारत के नागरिकों ने अपने नाम से जो संविधान बनाया था उसके भीतर उन नागरिकों को भी बदलने का संकल्प दिखाई देता है जो जाति और धर्म की संकीर्णताओं में जकड़े हुए थे। ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए थे। यह संकल्प धर्म, जाति, जन्मस्थान और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव से मनाही करता है और यह भी कहता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म बराबर हैं। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। यही भारत में सेक्युलर होने का अर्थ है। संविधान ने अगर एक ओर आजादी और राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत राष्ट्र राज्य बनाने का इरादा जताया था तो दूसरी ओर समता और भाईचारे के लिए एक सामाजिक क्रांति का खाका भी पेश किया था।

लेकिन आज वे संकल्प खो गए से लगते हैं और यही वजह है कि विभाजन एक स्थायी घटना बनकर रह गया है। आज यह आशंका भी मंडरा रही है कि कहीं धर्म के आधार पर भारत का दूसरा विभाजन भी न हो। पिछले दिनों इंदौर के करीब ट्रेन से एक मुस्लिम व्यापारी और एक विवाहित हिंदू शिक्षिका यात्रा कर रहे थे। वे पारिवारिक मित्र थे। उन्हें हिंदू धर्म के कुछ 'रक्षक' जबरदस्ती ट्रेन से उतार ले गए। उन्होंने उस मुस्लिम व्यापारी पर आरोप लगाया कि वह लव जिहाद कर रहा है। उन्हें वे लोग थाने ले गए जहां तमाम तरह की पूछताछ और लिखा पढ़ी के बाद उन दो बालिग नागरिकों को छोड़ दिया गया। उन हिंदू धर्म रक्षकों को कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने दो नागरिकों की गरिमा गिराने के लिए तमाम तरह के अपराध किए। यह घटना और इस तरह की तमाम घटनाएं हम भारत के लोगों के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। यह भारत की एकता और अखंडता में बाधा है। यह एक प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन पैदा करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा विभाजन पैदा करती है वह दृष्टि और उसके संचालन में बनने वाले कानून जो शास्त्रीय दृष्टि से लव और जिहाद जैसे दो पवित्र कामों को अपवित्र बनाते हैं। ❐